तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज रैफ0 43/2017 तहसीलदार रूपवास बनाम क्षेत्रपाल
8.6.2018	आज पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में तहसीलदार रूपवास द्वारा क्षेत्रपाल पुत्र लालाराम कौम ब्राहमण निवासी रूपवास तहसील रूपवास को पक्षकार बनाया गया है। जिसकी तलबी हेतु पत्रांक 1081 दिनांक 14.12.17 एवं 262 दिनांक 23.2.18 एवं 336 दिनांक 9.3.2018 जारी किये गये चूंकि रैफरेंस में गैर सायल के निवास का पता केवल रूपवास अंकित था लिहाजा सम्मन तामील होने में काफी समय व्यतीत हुआ। पत्रांक 336 दिनांक 9.3.2018 से भिजवाये गये सम्मन जो बाद तामील प्राप्त हुआ उसका अवलोकन किया गया। जिसमें यह स्पष्ट रिपोर्ट अंकित है कि " गैर सायल फौत हो चुका है (मर गया है) । तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि गैर सायल मृत हो चुका है। साथ ही सम्मन को तहसीलदार रूपवास द्वारा अग्रेषित किया गया है। जो इस प्रकरण में स्वयं प्रार्थी भी है। मौजूदा सम्मन पर तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट से यह बात साफ हो जाती है कि अप्रार्थी जिसके खिलाफ यह रैफरेंस पेश किया गया है वह फौत हो चुका है। मृत व्यक्ति के खिलाफ कोई भी वाद पेश किया जाना न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। वकील प्रार्थी/पैरोकार सरकार द्वारा भी ऐसा कोई साक्ष्य सबूत अथवा उज्रदारी पेश नहीं की गई जिससे यह माना जा सके कि अप्रार्थी की मौत प्रस्तुत रैफरेंस के बाद हुई है। ऐसी स्थिति में प्रचलित नियमों के अंतर्गत किसी मृत व्यक्ति के खिलाफ कोई भी वाद दायर करना न्याय संगत न होने के कारण चलने योग्य नहीं रहता है। अतः यह प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। साथ ही तहसीलदार रूपवास को हिदायत दी जाती है कि वे प्रकरण में परीक्षणोपरान्त मृतक गैर सायलान की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करते हुये नये सिरे से नियमानुसार पुनः रैफरेंस पेश करने हेतु स्वतन्त्र होगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे। अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर